दीपक नाइट्राइट लिमिटेड

विरुद्ध

गुजरात राज्य और अन्य

5 मई, 2004

एस. राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, **1986,** धारा **3 -** प्रदूषण नियंत्रण-प्रदूषक से भुगतान सिद्धांत की प्रयोज्यता **-** निर्धारित किया गयाः

नुकसान मुआवजा केवल तभी दिया जा सकता है जब यह साबित हो कि पर्यावरण को नुकसान औद्योगिक इकाई या संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया था हालाँकि यह कहना कि मानदंडों का पालन नहीं करने में केवल कानून के उल्लंघन से पर्यावरण का क्षय होगा, सही नहीं होगा.क्योंकि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं था, उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की जाँच की जाए हालाँकि इस तरह की जाँच ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि यह टोर्ट में हो, बल्कि सार्वजनिक कानून में एक कार्रवाई हो। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा एक व्यापक निष्कर्ष पर्याप्त होगा।

प्रदूषण नियंत्रण **-** प्रदूषक से भुगतान सिद्धांत . क्षतिपूर्ति की मात्रा आयोजितः दिए जाने वाले मुआवजे का न केवल उद्यमी के परिमाण और

क्षमता के अनुरूप बल्कि इसके कारण होने वाले नुकसान की मात्रा के साथ भी कुछ व्यापक संबंध होना चाहिए।

यह हो सकता है कि किसी दिये गये मामले में किसी उद्योग के करोबार का प्रतिशत एवं उसकी क्षमता व उसके द्वारा पहुंचाये गये नुकसान में आपस में रिश्ता होना चाहिए क्योंकि क्षतिपूर्ति प्रदान करने में जो उपाय काम में लाया जायेगा वह प्रदूषक के अदा करने के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसे प्रायोगिक साधारण व सुलभ होना चाहिए जिसकी पालना की जा सके। सिद्धांत प्रदूषक द्वारा अदायगी।

एक रिट याचिका लोकहित में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी कि बड़े पैमाने पर उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है जो गुजरात औद्योगिक विकास निगम इण्डस्ट्रीयल एस्टेट में स्थित है। यह आरोप लगाया गया कि इन उद्योगों से जो गंदगी बाहर निकलती है वे प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट में जाती है परंतु वे हद से ज्यादा गंदगी निकाल रहे हैं न कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा तय मापदंडों के अनुसार।

उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर उद्योगों को निर्देश दिया कि वे अपने उद्योग के अधिकतम कारोबार का एक प्रतिशत पिछले तीन साल का क्षतिपूर्ति के रूप में पर्यावरण की बेहतरी के लिए तय किए गए समय में जमा करावे। अतः यह अपीलें की गईं।

अपीलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

(1) इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप औद्योगिक इकाईयों ने कार्यवाही नहीं की। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इस परिस्थिति मात्र से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस गलती के कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ। इस बिन्दु पर कोई नतीजा नहीं दिया गया जो यह पता करने के लिए आवष्यक है कि क्या क्षतिपूर्ति दी जा सकती है क्योंकि क्षतिपूर्ति दिये जाने का रिश्ता न सिर्फ उद्योग की क्षमता व उसके बड़े होने से है अपितु उसके द्वारा पहुंचाये गये नुकसान से भी है। हो सकता है कि किसी मामले में कारोबार की प्रतिशतता एक उचित तरीका हो। क्योंकि क्षतिपूर्ति प्रदान करने में अपनाये जाने वाले तरीके का आधार प्रदूषक द्वारा अदायगी का सिद्धांत है लेकिन इसे प्रायोगिक सीधा व साधारण होना चाहिए। अपीलार्थीगण ने वैधानिक स्थिति को चुनौती नहीं दी है कि यदि ऐसा परिणाम निकलता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये अथवा कुछ लोग औद्योगिक इकाईयों की कार्यवाहियों से आहत हुए हों तो क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। परंतु यह कहना कि मात्र मानकों का उल्लंघन कानून में पर्यावरण को नुकसान पहुंचायेगा, सही नहीं है। **(56-सी-डी)**

(2) उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक मामले में अग्रिम जांच करे तथा यह पता करे कि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा कोई क्षति उनकी कार्यवाही से हुई है जो उन्होंने जीपीसीबी के द्वारा निर्धारित मानकों की पालना नहीं की, उससे हुई हो।

यह कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा करना आवष्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान कार्यवाही टोर्ट में नहीं है अपितु सार्वजनिक विधि में है। मोटे तौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा एक निश्चयात्मक निश्चय पर पहुंचना काफी होगा। उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले के इस पहलू पर विचार करे कि क्या मानकों के न मानने के कारण उन्होंने पर्यावरण को दूषित किया है। जिसके परिणामस्वरूप किसी भी आहत को कोई क्षति पहुंची है और क्या मानक अपनाने चाहिएं जिनके आधार पर क्षतिपूर्ति इस संबंध में दी जा सके। इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वे उद्योग के एक प्रतिशत कारोबार को उचित सूत्र मानते हुए अथवा न मानते हुए कार्यवाही करे। **(56-**एफ-एच**, 57** ए-ए**)**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार**:-** सिविल अपील सं**. - 1521/2001**

गुजरात उच्च न्यायालय के सिविल आवेदन सं**. 322/1997** व सिविल आवेदनों सं**. 2108** एवं **2949/1997** उच्चतम न्यायालय में आवेदन सं**. 2922/1995**

साथ में

सिविल अपील सं**. 1522, 1523, 1524, 1525-26, 1527, 1528/2001**

टी. आर अंधीया रुजीना **(**एसी**),** आर एफ नरीमन**,** आर. पी. भट्ट**,** मोलिन रावल**,** आषीष चुघ**,** श्रीकांत दोइजोड़े**,** जय सावला**,** सुश्री रीना बग्गा**,**

सुश्री हेमंतिका बाई, सुश्री अरोड़ा गुप्ता, के. आर. शषि प्रभु, श्रीमति माणिक करंजावाला, एच. एस. परिहार, पी.एच. पारीक, ई. आर. कुमार, सानन्द रामकृष्णन, विद्या पंजवानी, अनिरुद्ध पी., माई, अरविन्द मिनोचा, अनीप सच्थे, श्रीनिवास आर. खलब, एफ. वेणूकुमार, हर्षद वी. हमीद, ई. सी. अग्रवाल, सुनील डोगरा, सुश्री सायली पाठक, चिराग एम. श्राॅफ, एम. एन. श्राॅफ एवं सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा - उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

यह अपीलें उच्च न्यायालय गुजरात के द्वारा एक आदेषों की शृंखला से उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय के समक्ष लोकहित में एक याचिका प्रस्तुत कर बताया गया है कि बड़े पैमाने पर गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीएडीसी) इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, नांदेसरी में स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि इन उद्योगों द्वारा निस्तारित कचरे में जो कचरा साफ करने वाले ट्रीटमेंट परियोजना में जाता है उन्होंने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड से ज्यादा कचरा इस परियोजना में डाला है, जिससे पर्यावरण को हानि हो रही है। कुछ उद्योगों ने अपने स्वयं के कचरा नियंत्रण उपचार संयंत्र बना रखे हैं। जो उनके औद्योगिक इकाई में ही स्थित हैं। लेकिन कुछ इकाईयों ने ऐसे संयंत्र नहीं बना रखे हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक **17.04.1995** द्वारा निर्देश दिया कि नांदेसरी

स्थित औद्योगिक इकाईयां इस प्रकरण में पक्षकार बनाये जायें। इस प्रकार **252** औद्योगिक इकाईयों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया। साथ में गुजरात राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल व गुजरात औद्योगिक विकास निगम व नांदेसरी औद्योगिक संगठन को भी पक्षकार बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने बैंकों तथा विŸाीय संस्थाओं को भी इस कार्यवाही के नोटिस जारी किए हैं।

05.05.1995 को उच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष डाॅ. वी. वी. मोदी थे। उन्हें कहा गया कि आप नांदेसरी औद्योगिक एस्टेट में प्रदूषण की मात्रा व स्थिति का पता करे। एक सामान्य कचरा उपचार संयंत्र **(**सीईटीपी**)** जीआईडीसी द्वारा चालू किया गया जो नांदेसरी इंण्डस्ट्रीयल एस्टेट में था। यह संयंत्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा योगदान से तैयार किया गया। जिसकी कीमत रु. तीन सौ लाख थी। चूंकि सीईटीपी द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना नहीं की जा रही थी जो जीपीसीबी ने निर्धारित किये थे। उच्च न्यायालय ने **07.08.1996** को एक आदेश कर एनईईआरआई को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया ताकि वो उपचार संयंत्र की जांच कर उपचार के तरीके सुझावे। जिससे सीईटीपी का विकास कर सके और जिससे कचरे के उपचार का संयंत्र भी उपचारित हो सके। कमेटी ने **07.09.1996** को एक रिपोर्ट दी। उच्च न्यायालय ने कई औद्योगिक इकाईयों को अपने उत्पादनों को अपने क्षेत्र से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी जब तक कि वे उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त ना

कर लें। इसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने **13.09.1996** के आदेश द्वारा उन्हें अनुमति प्रदान की कि वे माल को कुछ पैसा जमा कराकर बाहर भेज सकें। यह पैसा माल की कीमत के बराबर का था। एनईईआरआई ने अपनी रिपोर्ट **21.10.1996** को दी। उच्च न्यायालय ने कुछ औद्योगिक इकाईयों को अपनी कार्यवाही जारी करने की अनुमति दी तथा उनके वार्षिक कारोबार के आंकड़े मांगते हुए उनके इकाई के लाभ की जानकारी भी चाही। **09.05.1997** को उच्च न्यायाल ने एक आदेश पारित किया कि इकाईयां अपने अधिकतम वार्षिक कारोबार में पिछले तीन वर्ष के कारोबार की एक प्रतिशत राशि पर्यावरण की बेहतरी के लिए निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगे। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।

उच्च न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय प्रवीण भाई जशभाई पटेल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य**, 36** गुजरात लाॅ रिपोर्ट **1210** का अवलंबन लेते हुए आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि औद्योगिक इकाईयां विधि की आवष्यकता जानते हुए भी उनकी पालना नहीं करती। साथ ही उन्होंने जीपीसीबी के द्वारा निर्धारित मापदंडों की भी पालना नहीं की। वे इस हद तक गैर-जिम्मेदार रहे कि न तो कचरा निवारण का संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं न इसकी परवाह करते हैं। परंतु लगातार उत्पादन जारी रखते हुए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। अब वे जो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वे प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की पालना करेंगे वह उच्च न्यायालय के आदेश

के डर से कर रहे हैं। इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है वह विपरीत तरीके से बड़ी संख्या में नागरिकों को जो नजदीक के शहरों व गांवों मं रह रहे हैं, प्रभावित कर रहा है। विशेष तौर पर पानी व हवा का प्रदूषण लगातार उक्त क्षेत्र में जारी है जिसमें प्रदूषण कारित हो रहा है। यह प्रदूषण अन्य क्षेत्रों में भी जहां पानी व वायु जाती है नुकसान कर रहा है। इस न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, एआईआर **(1988)** सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ **1037** वीरेन्द्र गौड़ एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य **(1995) 2** एससीसी **577** एवं सीईआरसी बनाम भारत संघ एआईआर **1995** सुप्रीम कोर्ट एससी **922** के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद **21** का अवलंबन लेते हुए घोषणा की थी कि नागरिकों का यह मूलभूत अधिकार है कि वे शालीनता से प्रदूषण से प्रभावित हुए बिना रहें। कई तर्कों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि औद्योगिक इकाईयां अपने वार्षिक कारोबार का एक प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में दें जो एक अच्छा उपाय होगा। यह राशि पृथक् से पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रखी जायेगी एवं इसका उपयोग प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उपयोग में लाई जाएगी। साथ ही उक्त गांवों के षिक्षा, चिकित्सा, पषु चिकित्सा सुविधाओं तथा उनकी कृषि एवं पशुपालन तथा कई अन्य निर्देशों के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये।

अब हमारे समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय के समक्ष हम पर क्षतिपूर्ति अथवा जुर्माना लगाने की शक्तियां नहीं थीं। साथ ही सामान्य जन के अच्छे के लिए भी कुछ करने की गुंजाइष नहीं थी जब तक कि विधि द्वारा इसके लिए उन्हें अधिकृत न किया गया हो। परंतु क्षतिपूर्ति देने में यह स्वीकार्य है कि उदाहरणार्थ अथवा दाण्डिक रूप से क्षतिपूर्ति तब दी जाये जब आहतों को जो क्षति हुई है अथवा जो नुकसान हुआ है अथवा पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसका परिपूर्ण करना सजा के रूप में जब तक इस आषय का निश्चय उच्च न्यायालय नहीं दे देता कि पर्यावरण को इन इकाईयों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। पुनर्भरण अथवा क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार का कोई नतीजा उच्च न्यायालय ने नहीं निकाला है कि पर्यावरण को दूषित करने का काम इन इकाईयों ने किया है अतः उच्च न्यायालय द्वारा इन इकाईयों पर एक प्रतिशत वार्षिक कारोबार क्षतिपूर्ति देने का आदेश करना गलत था। अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के एक निर्णय वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ व अन्य **(1996) 5** एससीसी **647** का अवलंबन लिया। उनका तर्क है कि ''प्रदूषक द्वारा अदायगी'' का सिद्धांत तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि संबद्ध औद्योगिक इकाई ने प्रदूषण फैलाया है। प्रदूषण किस प्रकार फैला व उत्पन्न हुआ है इसके तरीके का पता करना चाहिए। विशेष तौर पर जब एक पृथक् सामान्य एफ्लूएंट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाया गया था तथा एक नाले के जरिये पानी को

नदी में डाला जा रहा था जो समुद्र तक पहुंचता था तथा कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता था। उनका कथन है कि प्रवीण भाई जषभाई पटेल के मामले (ऊपर वर्णित) तथा वर्तमान मामले में अंतर है। उन मामलों में यह प्रत्यक्ष साक्ष्य थी कि क्षति हुई है तथा अंगूठे के नियम के तहत उच्च न्यायालय ने एक प्रतिशत वार्षिक कारोबार का स्तर तय किया जो क्षतिपूर्ति के रूप में था। ऐसा सिद्धांत हमेषा सार्वजनिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उनकी प्रार्थना है कि हमें इस न्यायालय के निर्णय वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम (ऊपर वर्णित) पर भरोसा करना चाहिए जिसमें प्रदूषक को अदा करने का सिद्धांत माना गया है। उक्त निर्णय में यह भी पाया गया था कि ऐसा कोई सिद्धांत बनाया जाए तो वह साधारण प्रायोगिक एवं इस देष की स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। एक बार यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो वह खतरनाक है अथवा अंदरूनी रूप से भी खतरनाक है तो वह व्यक्ति जो ऐसी कार्यवाही कर रहा है उसे हुए नुकसान की पूर्ति करने का दायित्व निभाना होगा जो उसकी गतिविधि से हुआ है। यह इस बात के परे है कि उसने युक्तियुक्त सावधानी अपनी कार्यवाही करते वक्त बरती थी। परिणामस्वरूप प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयां पूर्ण रूप से अपने द्वारा गांव के निवासियों को पहुुंचाये गये नुकसान के लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए दायित्वाधीन है। साथ ही भूमि को, जमीन के नीचे के पानी को हुए नुकसान के लिए भी वे दायित्वाधीन है अतः वे इस बात से पाबंद हैं कि उन्हें वे सभी आवष्यक उपचार करने चाहिएं जिससे कीचड़ व अन्य प्रदूषण फैलाने वाले तत्व जो प्रभावित क्षेत्रों

में हैं, हट जाऐं। "प्रदूषक अदा करेगा" का सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा अभिप्रेत है, उसका तात्पर्य है कि पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के लिए पूर्ण दायित्व न सिर्फ आहतों को क्षतिपूर्ति दिलाना है बल्कि पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना भी है। पर्यावरण को हुई क्षति के उपचार की प्रक्रिया सतत विकास के लिए आवष्यक प्रक्रिया है अतः प्रदूषक का दायित्व है कि वे न सिर्फ व्यक्तिगत आहतों को क्षतिपूर्ति दें बल्कि पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की भी भरपाई करें।

टी. आर. अंधीया रुजीना, विद्वान वरिष्ठ अभिभाषक जिन्होंने न्यायमित्र के रूप में हमारी सहायता की है। उन्होंने समझाया कि किस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित किया था। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व के निर्णय प्रवीण भाई जषभाई पटेल (ऊपर वर्णित) निर्णय की पालना करते हुए यह किया गया जिसमें एक प्रतिशत वार्षिक कारोबार का मानक प्रदूषक इकाईयों के लिए स्वीकार किया गया था तथा ऐसी इकाईयों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी नदी व जमीन को प्रदूषित करने के लिए तय की गई। उक्त निर्णय का आधार यह था कि प्रदूषक इकाईयां जीपीसीबी के मानक नहीं मान रही थी तथा लगातार विधि का उल्लंघन औद्योगिक इकाईयों द्वारा करना आदत बन गई है। विस्तार में व्याख्या करने के पष्चात् उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णीत किया कि इन उद्योगों ने प्रदूषण किया है इसलिए कुछ निर्देश दिये जिनमें औद्योगिक इकाईयों के बंद करने का निर्देश भी था यदि वे जीपीसीबी के मानकों की पालना

नहीं करते। उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देश जो क्षतिपूर्ति अदा करने व उद्योगों को बंद करने के समर्थन में थे उनकी पालना औद्योगिक इकाईयों कर चुकी हैं तथा इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये तरीके जो प्रवीणभाई जषभाई पटेल के मामले (ऊपर वर्णित) को अन्य औद्योगिक इकाईयों पर भी लागू किया जा सकता है जो प्रदूषण फैला रही है। कमेटी अथवा एक विशेषज्ञ की जांच पष्चात् यह रिपोर्ट की गई कि औद्योगिक इकाईयां प्रदूषण फैला रहीं हैं क्योंकि वे जीपीसीबी व उच्च न्यायालय के मानकों की पालना नहीं कर रहे। वास्तव में यह देखा गया कि कुछ इकाईयों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया कि वे अपने वार्षिक कारोबार का एक प्रतिशत पिछले तीन सालों में से एक वर्ष का स्वयं देंगे। इस बात पर भी आम सहमति सभी औद्योगिक इकाईयों में थी कि पर्यावरण के सुधार के लिए वे स्वेच्छा से एक प्रतिशत अदायगी करेंगे। हम यह कह सकते हैं कि उन इकाईयों जिनमें कोई उपचार संयंत्र नहीं था अथवा अपर्याप्त उपचार थे। उन्होंने भी उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि वे अपने संयंत्र को तब तक बंद रखेंगे जब तक उनके यहां उचित उपचार संयंत्र नहीं लग जाता और जब तक वे जीपीसीबी के मानकों की पालना करने योग्य नहीं हो जाते। अतः इन मामलों में उच्च न्यायालय ने कई उद्योगों को प्राथमिक रूप से अपने उत्पादनों को अपने परिसर से अपनी अनुमति प्राप्त किये बिना बाहर ले जाने से मना कर दिया। इसके पष्चात् उक्त इकाईयों ने स्वयं अपनी प्रदूषण की कार्यवाहियां बंद कर दीं। उच्च न्यायालय ने

एनईईआरआई की कमेटी की रिपोर्ट व जीपीसीबी की रिपोर्ट देखने के पष्चात् इन कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जो एक परीक्षण आधार पर थीं और उसी वक्त यह निर्देश दिया कि एक प्रतिशत की अदायगी के सम्बन्ध में एक आदेश पारित किया जाएगा जब अभिभाषकगण विस्तार में वर्णन पेष करेंगे। इसके पष्चात् उच्च न्यायालय ने एक प्रतिशत कारोबार की अदायगी की प्रक्रिया जो प्रवीणभाई जषभाई पटेल में सुझाई गई थी, को स्वीकार किया। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इन मामलों मे उच्च न्यायालय ने कमेटी द्वारा की गई जांच, जो उनके द्वारा बनाई गई थी अथवा विशेषज्ञ एजेंसी एनईईआरआई की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया कि औद्योगिक इकाईयां प्रदूषण इकाईयां थीं तथा उन्होंने जीपीसीबी के मानकों की पालना नहीं की थी। प्रत्येक इकाई अपने अवषिष्ट पदार्थ एफ्लूएंट चैनल प्रोजेक्ट में जो जीएडीसी ने बनाया था, डालती थी जिससे अपषिष्ट पदार्थ माही नदी में जाता था व अंततः समुद्र में पहुंचता था। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने पाया कि सब जगह पर्यावरण को दूषित करना प्रदूषण विधि का उल्लंघन करने से हुआ है और इस क्षति के कारण उच्च न्यायालय ने एक प्रतिशत क्षतिपूर्ति एक बार में अदा करने का आदेश किया जबकि प्रदूषण व नुकसान **1993** से **1996** तक का था। उनका यह भी कथन है कि उच्च न्यायालय ने जो क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश किया वह इस निश्चय पर पहुंचे बिना दिया है कि पर्यावरण को नुकसान हुआ जिससे निर्धारित मानकों की पालना नहीं हुई है। विद्वान अभिभाषक ने इस न्यायालय के कई निर्णयों जैसे एम. सी. मेहता बनाम

भारत संघ **(1987) 1** एससीसी **395** का अवलंबन लेकर यह बताया कि क्षतिपूर्ति का आकलन इस बात से जुड़ा होना चाहिए कि औद्योगिक इकाई का आकार व कारोबार क्या है क्योंकि ऐसी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए जिसका प्रभाव निवारक हो और ऐसी क्षतिपूर्ति न सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए हो अपितु पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा प्रदूषण से प्रभावित आहतों के पुनर्वास के लिए भी हो। इस न्यायालय ने "प्रदूषक द्वारा अदायगी" के सिद्धांत को मानते हुए यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है कि किसी भी इकाई के पूर्ण कारोबार की कुछ प्रतिशतता साफ सुथरे खतराविहीन पर्यावरण के लिए आवष्यक है और इसे नागरिकों के मूलभूत अधिकार अनुच्छेद **21** भारतीय संविधान के तहत माना गया। न्यायालय ने नये तरीके व रणनीति की खोज इसी उद्देष्य से की है कि मानव के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।

यह तथ्य कि प्रश्नगत औद्योगिक इकाईयों ने जीपीसीबी के मानकों की पालना नहीं की थी, को चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह परिस्थिति अपने आप में इस निश्चय पर पहुंचने के लिए काफी है कि इस कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इस बिन्दु पर कोई निश्चय नहीं किया गया है जो कि मालूम करना आवष्यक था क्योंकि क्षतिपूर्ति तभी प्रदान की जा सकती है जब उसका सम्बन्ध न सिर्फ इकाई के परिमाण एवं क्षमता बल्कि उसके द्वारा पहुंचाये गये नुकसान से भी है। हो सकता है कि किसी मामले में वार्षिक कारोबार अपने आप में उचित

तरीका हो। क्योंकि क्षतिपूर्ति देने के लिए अपनाये गये तरीके में प्रदूषक द्वारा अदायगी का सिद्धांत शामिल है परंतु इसे व्यावहारिक, साधारण एवं सरल होना चाहिए। अपीलार्थीगण ने भी इस विधिक स्थिति का विरोध नहीं किया है कि यदि ऐसा निश्चय आ जाता है कि पर्यावरण में पतन आया है अथवा किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है जो औद्योगिक इकाईयों की कार्यवाहियों के कारण है तो क्षतिपूर्ति करना आवष्यक है। परंतु यह कहना कि किसी विधि का उल्लंघन मात्र या मापदंड को न मानने से पर्यावरण में पतन आया है, सही नहीं होगा।

अतः हम उच्च न्यायालय को यह निर्देश देते हैं कि वे प्रत्येक मामले में आगे जांच करे कि क्या किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा जीपीसीबी के मानको की पालना न करने से पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है जैसा कि मोदी कमेटी जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई थी या विशेष जैसे एनईईआरई ने बताया है, यह अभ्यास उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं करना आवष्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान मामला टोर्ट की कार्यवाही नहीं है अपितु सार्वजनिक विधि की कार्यवाही है। एक व्यापक निष्कर्ष इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाना यथेष्ट होगा। इसलिए हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि मामले के इस पहूल पर विचार करे कि क्या पर्यावरण में नुकसान हुआ है और उसके कारण किसी व्यक्ति को कोई क्षति हुई है तथा ऐसे मामले में क्या मानक अपनाने चाहिए कि उचित रूप से क्षतिपूर्ति की जा सके। इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय इस

बात के लिए स्वतंत्र होगी कि वे विचार करे कि क्या इकाई का एक प्रतिशत वार्षिक कारोबार एक उचित सूत्र है अथवा नहीं और वर्तमान मामलों में लागू किये जाने योग्य है या नहीं।

हम हमारी ओर से श्री टी. आर. अंधीया रुजीना को हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हुए उनकी प्रषंसा करते हैं जो उन्होंने न्यायमित्र के रूप में की है।

इन निर्देशों के साथ ये अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।